

रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना

(ए०सी०पी० योजना) के अधीन वित्तीय उन्नयन प्रदान करने के प्रयोजनार्थ जाँच प्रपत्र

1. विभाग/कार्यालय का नाम
2. सरकारी सेवक का नाम
3. जन्म तिथि/सेवा निवृत्ति की तिथि
4. सरकारी सेवा में प्रथम नियुक्ति की तिथि एवं पदनाम
5. वर्तमान धारित पद पर योगदान की तिथि/वेतनमान
- तिथि जिससे वेतन प्राप्त किया गया
6. विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण की तिथि
7. सेवा सम्पुष्ट की तिथि
8. संविलयन का लाभ प्राप्त हुआ है या नहीं, पूर्ण विवरण दें
9. यदि कोई प्रोन्नति मिली हो तो विवरण
- क. कनीय प्रवर कोटि.....
- ख. वरीय प्रवर कोटि.....
- ग. प्रथम कालबद्ध..... द्वितीय कालबद्ध.....
- घ. उच्चतर पद (जिस पर प्रोन्नति मिली हो)
- ङ. दिनांक 09.08.1999 से देय प्रथम सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन का लाभ
- च. द्वितीय सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन का लाभ
10. यदि प्रोन्नति रद्द कर दी गयी हो तो उसका विवरण
11. दिनांक 01.01.2009 को कुल सेवा अवधि
12. दस (10) वर्षों की नियमित सेवा पूर्ण करने की तिथि एवं
देय प्रथम रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन की तिथि
13. बीस (20) वर्षों की नियमित सेवा पूर्ण करने की तिथि एवं
देय द्वितीय रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन की तिथि
14. तीस (30) वर्षों की नियमित सेवा पूर्ण करने की तिथि एवं
देय तृतीय रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन की तिथि
15. विभागीय आरोप/विभागीय कार्यवाही/अपराधिक कार्यवाही की स्थिति
16. यदि कोई अभ्युक्ति हो तो

संबंधित कर्मचारी का हस्ताक्षर

नियंत्री पदाधिकारी का हस्ताक्षर
मुहर सहित